राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–04 / 2025 दायर दिनांक :–06.02.2023

जीसीएमएस नं.–2023 / 222 निर्णय दिनांकः–04.02.2026

1. श्री विमलप्रकाश पुत्र रमेशचन्द्र निवासी लोडवाडा,
2. श्रीमती गीता पत्नी विमल प्रकाश मीना, निवासी लोडवाड़ा, तहसील गामड़ी अहाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कान्तिलाल पिता हाथीराम लबाना,
2. श्रीमति लक्ष्मी पत्नी कान्तिलाल लबाना, निवासी माडा, तहसील गामडी अहाडा
3. भूमिधारी सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील डूंगरपुर

विपक्षीगण

उपस्थिति :–

1. श्री भगवानलाल पटेल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री शैलेष भण्डारी, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4)
राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970

–:: निर्णयः:–

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया आवंटन समिति ने दिनांक 08.12.2021 को मौजा लोडवाडा में स्थित खसरा नम्बर 2123 / 918 रकबा 0.1600 हेक्टेयर काबिल काश्त भूमि गैर खातेदारी हक के साथ विपक्षीगण को आवंटित की गई है।उक्त आवंटन प्रकिया मौके पर भौतिक सत्यापन के बगैर सम्पन्न हुआ है। आवंटन के पूर्व आवंटन नियमों की आवंटन समिति द्वारा उल्लंघन किया गया है। प्रार्थीगण एक ही परिवार के होकर दोनो शामिल शरीक काश्त करते है। आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण के दादा सवजी पुत्र थावरा खराडी ने उनके समय में कच्चा मकान बनाया था जो वर्ष 2007 में गिर गया, इस समय रोडे के रूप में मौजुद है तथा प्रार्थीगण ने वर्ष 2008 में पक्का मकान बनाया है जौ मौके पर मौजुद है जिसमें प्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास कर रहे है एवं आज भी उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। आवंटीत भूमि प्रार्थी के खाते की भूमि आराजी संख्या 2122 / 918 रकबा 0.0800 हेक्टेयर से सटी हुई है। आवंटन के पूर्व उपखण्ड अधिकारी ने नियम 6 के तहत आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र पेश करने की घोषणा नहीं करने में कानूनी भूल की है जो नियम 7 (1) (बी) की अवहेलना है। उक्त घोषणा की सूचना मौजा लोडवाडा के स्कूल भवन, पंचायत एवं पंचायत समिति कहीं पर भी चस्पा नहीं की गई जिससे कई भूमिहीन, विक्लांग, बेवा काश्तकार आवंटन प्रकिया से अनवीज्ञ रहै। फलस्वरूप सरपंच एवं पटवारी हल्का की मीली भगत से चहेतो के पक्ष में आवंटन हाथों हाथ कर दिया गया। आवंटन समिति का उक्त कृत्य नियम 8 (1) (2) (3) मे वर्णित नियम के विरूद्ध है। आवंटन समिति के समक्ष प्रार्थी विमलप्रकाश ने केम्प लोडवाडा एवं गामडी दोनो में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि उक्त आवंटित भूमि पर उसका पक्का मकान बना हुआ है तथा परिवार सहित निवास कर रहा हूँ उक्त भूमि को किसी और के नाम या कान्ति लबाना के नाम से आवंटित नहीं की जावे। इसके बावजुद मिली भगत कर विपक्षीगण को अवैद्य रूप से लाभ पहुँचाने की गर्ज से उनके नाम उक्त वर्णित भूमि आवंटीत कर दी । आवंटीत भूमि गांव (मौजा) लोडवाडा में स्थित है तथा विपक्षीगण दुसरे गांव माडा के रहने वाले है साथ ही उनके पास पूर्व से ही कृषि भूमि के साथ साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि मौजा माडा में स्थित है, विपक्षीगण किसी भी तरह से भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते है। विपक्षीगण के पास मौजा माडा में खाता संख्या 96 खसरा नम्बर 3980 / 3900 रकबा 0.800 किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ, खसरा नम्बर 3981 / 3900 रकबा 0.1600 किस्म आवासीय, खसरा नम्बर 3982 / 3900 रकबा 0.800 किस्म बीड प्रथम, एवं मौजा

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

माडा में ही विपक्षी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 92 खसरा नम्बर 56 रकबा 0. 0600 किस्म तालावी द्वितिय भूमि स्थित है। इसके बावजुद भी पटवारी एवं सरपंच द्वारा विपक्षीगण से मिलीभगत कर लाभ पहुँचाने की गर्ज से विपक्षीगण के नाम आवंटन किया है। विपक्षीगण द्वारा भूमि आवंटन हेतु जो आवेदन पत्र प्रारूप–3 उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया है उस आवेदन पत्र से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदनपत्र किसी उपखण्ड के अधिकारी को प्रस्तुत किया है तथा आवेदन पत्र में कई पूर्तिया नहीं की गई है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी ने पोईन्ट संख्या 9 में विपक्षीगण के दुसरे गांव के रहने वाले तथा आवंटीत भूमि वाले गांव के नहीं होने के बारे में लिखा है साथ ही पटवारी रिपोर्ट के पोईन्ट संख्या 13 व 14 में भी विपक्षीगण का भूमिहीन नहीं होना तथा गैर भूमि पर गैर खातेदार के रूप में काश्त करना नहीं लिखा है। विपक्षीगण अनुसुचित जाति/जनजाति के सदस्य नहीं है न ही भूमिहीन व्यक्ति है, विपक्षीगण अच्छी हैसियतवाले होकर अन्य गांव माडा के निवासी है तथा आवंटीत भूमि गांव लोडवाडा में स्थित है जिस पर कभी विपक्षीगण का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है न वर्तमान में है। वर्तमान में भी आवंटीत भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त होकर रबी की फसल खडी हुई है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटीत भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में तहसीलदार बिछिवाडा ने कई बार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के नोटिस दिए है तथा प्रार्थीगण ने नियमानुसार पेनाल्टी भी जमा कराई है जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास मौजुद है जो वक्त जरूरत पेश की जायेगी। अतएव प्रार्थनापत्र श्रीमान को पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 2123/918 रकबा 0.1600 हेक्टेयर वाके मौजा लोडवाडा जो विपक्षीगण को आवंटीत की गई है उसे निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण को आवंटीत फरमाई जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस जवाब देही तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि आवंटन समिति द्वारा विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे आवंटन नियमों के अनुरूप ही आवंटन किया गया है। विपक्षीगण को ग्राम लोडवाडा पटवार हल्का गामडी अहाडा के खाता संख्या नया 454 पुराना 1 के खसरा नम्बर 2123/918 क्षेत्रफल 0.1600 किस्म सु.तृ. का नियमानुसार आवंटन का पात्र होने से विपक्षीगण के नाम आवंटन हुआ तथा आवंटित भूमि के विपक्षीगण गैरखातेदार है। विपक्षीगण को जिस मूल खसरा नम्बर 918 से आवंटन हुआ है, उसी मूल खसरा नम्बर 918 से प्रार्थीगण को भी आवंटन हुआ है जिसका खसरा नम्बर 2122/918 रकबा 0.0800 हैक्टेयर होकर आवंटित भूमि के प्रार्थीगण गैरखातेदार है। इस प्रकार दोनो ही पक्षकारो को खसरा नम्बर 918 से आवंटन हुआ है। विपक्षीगण को तंग परेशान करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षीगण द्वारा नियमानुसार आवंटन हेतु आवेदन पत्र भरा गया तथा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तत्पश्चात् आवंटन सलाहकार समिति की संपूर्ण कोरम द्वारा दिनांक 08–12–2024 को जरिए मिसल संख्या 2604/21, कैम्प गामडी अहाडा मे विपक्षीगण को आवंटन का पात्र होने से आवंटन किया गया तथा मौके पर कब्जा सुपूर्द किया गया। विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों के तहत सभी प्रावधानो और शर्तों की पालना की गई है। विपक्षीगण को आवंटित की गई भूमि पर प्रार्थीगण का कोई मकान नही बना हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या आधारो को वर्णित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षीगण को ग्राम लोडवाडा मे भूमि खसरा नम्बर 2123/918 क्षेत्रफल 0.1600 एवं खसरा नम्बर 2188/1103 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर भूमि का आवंटन नियमानुसार होकर भूमि का आवंटन के पात्र व्यक्ति के पास भूमि को रखने की सीमा के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए ही तमाम जांच एवं पटवारी रिपोर्ट एवं आवंटन सलाकार समिति द्वारा मजमे आम मे सार्वजनिक रूप से विपक्षीगण को आवंटन का पात्र पाये जाने पर ही भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण स्वयं के आवंटन से तो संतुष्ट है परन्तु विपक्षीगण को आवंटन हुआ उससे नाराज होकर आरोप लगा रहे है। ग्राम लोडवाडा एवं माडा एक सीमा पर सटे हुए होकर एक ही है। उभय पक्षकारान को आवंटित भूमि का मुल खसरा 918 बहुत बडा को होकर इस मुल खसरे से दोनो पक्षकारो को पृथक पृथक आवंटन हुए है। प्रार्थीगण तथ्यों को तोड मरोड कर विपक्षीगण की आवंटित कब्जा काश्त की भूमि को अपना बता रहा है जो गलत होकर द्वेषता से प्रेरित कार्यवाही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पेनल्टी की रसीद से यह कही स्पष्ट नही होता है कि उसका प्रकरण में वर्णित जमीन पर पुराना कब्जा हो प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो उसकी जमीन पर कब्जे की पैतृकता को दर्शाता हो। प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। भूमिधारी तहसीलदार के प्रस्तुत जवाब में उक्त भूमि मौके पर खाली है और इस पर कोई भी कच्चा/पक्का मकान निर्माण नहीं किया है,उक्त भूमि पर एक तरफ थुवर की बाड व एक तरफ पत्थर की दीवार निर्माण किया

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

गया है। उक्त भूमि मौके पर खाली पडत है ओर नही मकान निर्माण किया गया है। प्रतिवादी लक्ष्मी पत्नि कान्तिलाल लबाना के नाम मौजा लोडवाडा खाता संख्या 304 खसरा नम्बर 2069/1102 रकबा 0.1300 हैक्ट, किस्म वाणिज्यिक प्रजोन खसरा नम्बर 2070/1102 रकबा 0.6300 हैक्ट 0.11 आबादी आवासीय 0.16 हैक्ट औधौगिक 0.36 हैक्ट तालाब द्वि) रिकार्ड दर्ज है। उक्त भूमि पर कोई भी रबी की फसल काश्त नहीं है और नही रिहायंशी मकान बना हुआ है।

प्रकरण में उभयपक्षो की बहस समायत की गई। प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित हुए योग्य अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। विपक्षीगण दुसरे गांव माडा के रहने वाले है साथ ही उनके पास पूर्व से ही कृषि भूमि के साथ साथ औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि मौजा माडा में स्थित है, विपक्षीगण किसी भी तरह से भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते है। अतः विपक्षीगण सं. 1 व 2 को किये गये उक्त आवंटन को निरस्त किया जावे। विपक्षीगण सं. 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाव को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण को जिस मूल खसरा नम्बर 918 से आवंटन हुआ है, उसी मूल खसरा नम्बर 918 से प्रार्थीगण को भी आवंटन हुआ है जिसका खसरा नम्बर 2122/918 रकबा 0.0800 हैक्टेयर होकर आवंटित भूमि के प्रार्थीगण गैरखातेदार है। इस प्रकार दोनो ही पक्षकारो को खसरा नम्बर 918 से आवंटन हुआ है। विपक्षीगण को नियमानुसार पात्र होने से आवंटन हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अद्यापरान्त अवलोकन किया गया। विपक्षीगण को मौजा लोडवाडा तहसील गामडी अहाडा के खसरा न. 918 नवीन खसरा नम्बर 2123/918 रकबा 0.1600 हेक्टेयर जरिये मिसल नं. 2604 दिनांक 08.12.2021 द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत रेकार्ड एवं भूमिधारी तहसीलदार के प्रस्तुत जवाब में उक्त भूमि मौके पर खाली पडत होने तथा राजकीय भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र में अंकित पटवारी रिपोर्ट में भी विपक्षी उसी गांव का नही होने व भूमिहिन होकर गैर खातेदार की तरह काश्त नही करना अंकित होने से संबंधित अधिनियम की धारा 14(4) के प्रावधानो के अनुसार भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को ग्राम लोडवाडा तहसील गामडी अहाडा के खसरा नं. 918 नवीन खसरा 2123/918 रकबा 0.1600 हैक्टर जरिये मिसल नं. 2604 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)